



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 19 जून, 2021

ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 494/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(184)-2021

लखनऊ, 19 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-144

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं० क०नि०-2-838/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(08)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, प्रथम परंतुक में, सारणी क्रम संख्या 2 के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
3	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हों	नियत तारीख के पश्चात् प्रथम पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021, अप्रैल, 2021
4	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख के पश्चात् प्रथम पंद्रह दिन के लिये शून्य, तत्पश्चात् अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च, 2021, अप्रैल, 2021
5	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख के पश्चात् प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021, अप्रैल, 2021

(1)	(2)	(3)	(4)
6	करदाता, जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के पश्चात प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 494 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(184)-2021, dated June 19, 2021 :

No. 494 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(184)-2021

Dated Lucknow, June 19, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification no. KA.NI.-2-838/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(08)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S. No. 2 the following shall be *inserted*, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 percent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
4.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18<sup>th</sup> day of April, 2021.

By order,  
SANJIV MITTAL,  
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 96 राजपत्र-2021-(173)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 12 सा० राज्य कर-2021-(174)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।